प्रश्न
21-11-01

उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार 30 कार्तिक, शक संवत्, 1923

(दिनांक : 21 नवम्बर, 2001)
समय : 11 : 00 बजे पूर्वाहन्

1– अल्प सूचित प्रश्न (देखिये नत्थी "क")।

2– अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी "ख")।

3– निधन के निदेश अथवा निधन की सूचना, यदि कोई हों।

4– सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों ।

(मुद्रित प्रतिया बाद में वितरित की जायेंगी)

5– सभापति, वन निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों के प्रकरण की जांच समिति, समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

6– संसदीय कार्यमंत्री विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2001 में प्राप्त नियम–301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाई गई सूचनाओं पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे।

7– वित्त मंत्री संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत सरकार से प्राप्त वर्ष 1999–2000, उत्तर प्रदेश सरकार का वाणिज्यिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।

8– विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

9– उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

10– मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

11– कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

12— संसदीय कार्यमंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

"यह सदन, संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (इक्यानवेंवाँ संशोधन) विधेयक, 2000 द्वारा "भारत का संविधान" में प्रस्तावित संशोधनों का, जो संविधान के अनुच्छेद—368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (क) और (ख) के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है।"

13— निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुत किया जाना :—

प्रस्तावक का नाम	संकल्प
श्री अम्बरीष कुमार श्री राम सिंह सैनी डा0 इन्दिरा हृदयेश	यह सदन उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अध्यादेश, 2001 का अननुमोदन करता है।

14— समाज कल्याण मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि "उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, विधेयक, 2001" पर विचार किया जाय।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन
डा0 इन्दिरा हृदयेश	उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

15— समाज कल्याण मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि "उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, विधेयक, 2001" पारित किया जाय।

16— वित्तीय वर्ष 2000—2001 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

(1) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या—04, न्याय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत रू0 8946 हजार (नवासी लाख छियालीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(2) प्राथमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या—05, निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत रू0 77638 हजार (सात करोड़ छिहत्तर लाख अड़तीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(3) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या—06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत रू0 108346 हजार (दस करोड़ तिरासी लाख छियालिस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(4) वित्त मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या—07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय विभाग के अन्तर्गत रू0 43029 हजार (चार करोड़ तीस लाख उन्तीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(5) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या—10, पुलिस एवं जेल विभाग के अन्तर्गत रू0 31719 हजार (तीन करोड़ सत्रह लाख उन्नीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(6) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या—11, शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति विभाग के अन्तर्गत रू0 393889 हजार (उन्तालीस करोड़ अड़तीस लाख नवासी हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(7) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या—12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत रू0 200809 हजार (बीस करोड़ आठ लाख नौ हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(8) आवास एवं शहरी विकास मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या—13, जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत रू0 208999 हजार (बीस करोड़ नवासी लाख निन्यानवें हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(9) समाज कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या—15, कल्याण योजनाऐं विभाग के अन्तर्गत रू0 172279 हजार (सत्रह करोड़ बाईस लाख उन्नासी हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(10) आवास, शहरी विकास तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या—16, श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत रू0 1688 हजार (सोलह लाख अट्ठासी हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

——4

(11) कृषि मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या—17, कृषिकर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत रू0 29360 हजार (दो करोड़ तिरान्वें लाख साठ हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(12) ग्राम्य विकास मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या—19, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत रू0 1483848 हजार (एक अरब अड़तालीस करोड़ अड़तिस लाख अड़तालीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(13) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या—20, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के अन्तर्गत रू0 5621 हजार (छप्पन लाख इक्कीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(14) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या—21, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत रू0 56000 हजार (पाँच करोड़ साठ लाख) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(15) पर्यटन एवं लोक निर्माण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या—22, लोक निर्माण कार्य विभाग के अन्तर्गत रू0 191134 हजार (उन्नीस करोड़ ग्यारह लाख चौंतीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(16) पर्यटन, लोक निर्माण एवं औद्योगिक विकास मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या—23, उद्योग विभाग के अन्तर्गत रू0 131 हजार (एक लाख इक्कतीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(17) परिवहन एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या—24, परिवहन विभाग के अन्तर्गत रू0 21105 हजार (दो करोड़ ग्यारह लाख पाँच हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(18) परिवहन एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या—25, खाद्य विभाग के अन्तर्गत रू0 10010 हजार (एक करोड़ दस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(19) वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या–27, वन विभाग के अन्तर्गत रू0 86273 हजार (आठ करोड़ बासठ लाख तिहत्तर हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(20) पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश' से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बंधी कार्य विभाग के अन्तर्गत रू0 3675 हजार (छत्तीस लाख पचहत्तर हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

17– वित्त मंत्री, उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

18– वित्त मंत्री, उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करेंगे।

19– वित्त मंत्री, यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय।

20– वित्त मंत्री, यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001 पारित किया जाय।

21– नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादूनः
दिनांक : 21 नवम्बर, 2001

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तरांचल विधान सभा

तृतीय सत्र, 2001
का प्रथम बुध

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार 30 कार्तिक, शक संवत्, 1923

(दिनांक : 21 नवम्बर, 2001)
समय : 11 : 00 बजे पूर्वाहन्

नत्थी (क)

—: अल्पसूचित प्रश्न :—

श्री अम्बरीष कुमार
8—10—2001

आबकारी

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, सितम्बर, 2001 में सरकार द्वारा पाँच नई डिस्टलरियों हेतु लाइसेंस किस नीति के तहत जारी किए गये? यदि हाँ, तो किसके आदेश थे ? क्या ये लाइसेंस निरस्त कर दिए गये हैं? यदि हाँ, तो लाइसेंस निरस्त किये जाने के प्रकरण की जाँच कराकर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तरांचल विधान सभा

तृतीय सत्र, 2001
का प्रथम बुध

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार 30 कार्तिक, शक संवत्, 1923

(दिनांक : 21 नवम्बर, 2001)
समय : 11 : 00 बजे पूर्वाहन्

नत्थी (ख)

–: तारांकित प्रश्न :–

श्री राजेन्द्र सिंह 23--3–2001	*1. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वन रक्षक का कार्यक्षेत्र कम से कम और अधिक से अधिक कितना–कितना हैक्टेयर है? क्या वन रक्षक इतने बड़े कार्य क्षेत्र में कार्य करने में सक्षम हैं? क्या सरकार वन रक्षकों का कार्यक्षेत्र कम करने व नये पद सृजित कर नियुक्ति करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री राम सिंह सैनी 05--03–2001	*2. क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश का पर्यावरणीय सन्तुलन बनाये रखने के लिए शासन किसी कार्य योजना पर विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो वह कार्य योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्रीमती इन्दिरा हृदयेश 19–7–2001	*3. क्या वन मंत्री को जानकारी है कि वन गूजरों को जो सुविधाऐं गढ़वाल मण्डल में प्राप्त होती हैं, कुमायूँ मण्डल के गूजरों को वह समस्त सुविधाऐं नहीं मिल रही हैं? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं या कुमायूँ मण्डल के गूजरों को यह सुविधाऐं कब तक मिल जायेंगी?	वन
श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा 1–10–2001	*4. क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप सस्ती एवं सुलभ प्राचीन चिकित्सा पद्धति नेचरोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपन्चर, योग पद्धति की शिक्षा देने पर सरकार विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	चिकित्सा शिक्षा
श्री ज्ञान चन्द 3–10–2001	*5. मंत्रिमण्डल में शामिल होने के कारण हटाया गया।	

श्री अम्बरीष कुमार 16–3–2001	*6. क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उधम सिंह नगर की चावल मिलों द्वारा तैयार चावल पर उत्तर प्रदेश के मुकाबले 2% अधिक कर देना पड़ता है? यदि हाँ, तो इन मिलों का उत्तर प्रदेश में पलायन रोकने हेतु क्या सरकार इस अंतर को समाप्त करेगी?	वित्त

–: अतारांकित प्रश्न :–

श्री के0सी0सिंह ''बाबा'' 09–04–2001	1. क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि सन् 1962 में जनपद उधम सिंह नगर में तुमड़िया डाम के निर्माण हेतु किसानों के 41 परिवारों से उनकी 350–65 एकड़ भूमिधरी की काश्त की आराजी इस आश्वासन पर ली गई थी कि किसानों को उसके बदले में उतनी ही भूमिधरी की आराजी दी जायेगी, जिसके अन्तर्गत किसानों को (1) सीपका में 138–28 एकड़ (2) मिलक सीपका में 42–35 एकड़, तथा (3) मनोरथपुर में (3) 170–05 एकड़ कुल रकवा 350–65 एकड़ वन विभाग की आराजी किसानों को दी गयी थी, परन्तु 39 वर्ष बीत जाने पर भी किसानों को भूमिधरी अधिकार नहीं दिए गये हैं। क्या राजस्व विभाग अपने आश्वासनों के तहत उनकी आराजी को भूमिधरी अधिकार प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	राजस्व
श्री के0सी0सिंह ''बाबा'' 09–04–2001	2. क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि सन् 1984 में बसाई गई कुमायूँ कालोनी, कचनाल गाजी, रामनगर रोड़ काशीपुर उधम सिंह नगर में कितने आवासीय पटटे किन–किन तारीखों को आवंटित किये गये है व कितने परिवार अभी तक इससे वंचित है? क्या सरकार वंचित परिवारों को पटटे आवंटित करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	राजस्व
श्रीमती इन्दिरा हृदयेश 19–7–2001	3. क्या वन मंत्री वनों में रह रहे गूजरों को उनके जानवरों के गोबर पर स्वामित्व प्रदान करने पर विचार कर रहे हैं? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?	वन
श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा 29–9–2001	4. क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1996–97 में तत्कालीन उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रति एक विधान सभा में पाँच आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने की राजाज्ञा हुई थी? यदि हाँ, तो अब तक उत्तरांचल में कितने चिकित्सालय संचालित हुए हैं? यदि नहीं तो क्यों?	चिकित्सा शिक्षा
श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा 29–9–2001	5. क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चम्पावत के लोहाघाट में आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक उक्त आयुर्वेदिक कालेज खुल जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?	चिकित्सा शिक्षा
श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा 4–10–2001	6. क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि पर्वतीय मूल के लोग शीतकाल में तराई क्षेत्रों में निवास करने आते थे तथा तराई की ज़मीन (कटुवापाती, हेलागोठ आदि) पर अपनी आजीविका चलाते थे लगान व चारागाह कर रूप में राजस्व भी देते थे। क्या सरकार उक्त राजस्व क्षेत्र कटुवापाती, हेलागोठ, छीनीगोठ आदि स्थानों पर काबिज़ व स्थानीय पर्वतीय मूल के जिन गाँवों के लोग निवास करते थे, उनके हित में नियमितीकरण की कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	राजस्व